चाकू दिखाकर लूट करने वाली भीलवाड़ा कालबेलिया गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार

पुलिस ने रैकी करने वाले दुपहिया वाहन को जब्त किया

जयपुर। बिन्दायका थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाकू दिखाकर लूट करने वाली भीलवाड़ा कालबेलिया गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने रैकी करने वाले दुपहिया वाहन (बाइक) ट्रॉली सहित वारदात प्रयुक्त चाकू भी जब्त किया है। इसके अलावा वारदात की रेकी करने में मिले पांच हजार रुपये भी बरामद किए गए है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) अमित बुडानिया ने बताया कि बिन्दायका थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाकू दिखाकर लूट करने वाली भीलवाड़ा कालबेलिया गैंग के शातिर बदमाश राकेश नाथ कालबेलिया निवासी बडलियास जिला भीलवाड़ा और नाथु नाथ कालबेलिया निवासी बागौर जिला भीलवाडा हाल करणी विहार जयपुर को बापर्दा गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपित राकेश नाथ व उसकी भाभी शारदा देवी उर्फ जानी देवी द्वारा रेकी करने में प्रयुक्त वाहन एक मोटरसाइकिल जिसमें ट्रोली लगी हुई है को भी जब्त किया है।

पुलिस ने गैंग के शातिर बदमाश राकेश नाथ कालबेलिया व नाथु नाथ कालबेलिया को बापर्दा गिरफ्तार किया

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों के द्वारा कचरा बीनने के बहाने से महिलाओं को साथ रखकर रेकी करते है तथा रेकी के दौरान बुजुर्ग व्यक्तियों जिन्होने सोने चांदी के गहने पहन रखे हो के बारे मे जानकारी जुटाते है। इसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर रात के समय लूट या चोरी करने की योजना बनाते है। रेकी करने वाले लोग अलग होते है व वारदात करने वाले लोग अलग होते है ।

वारदात करने जाने से पहले अपना फोन आदि घर पर ही छोडकर जाते है ताकि ट्रेक नहीं हो सके तथा वारदात करने के बाद फरार होकर अपने गांव भीलवाड़ा में चले जाते है । इसके अलावा अपने नाम की सिम निकालकर अपने रिश्तेदारों व अन्य लोगो को दे देते है।

रेकी करने के लिये अलग वाहन प्रयोग करते है तथा वारदात में अलग लोगों के द्वारा अलग वाहन प्रयोग करते है तथा घटना स्थल के आस पास से अपना डेरा खाली कर फरार हो जाते है।

- आरोपियों के द्वारा कचरा बीनने के बहाने से महिलाओं को साथ रखकर रेकी करते है तथा रेकी के दौरान बुजुर्ग व्यक्तियों जिन्होने सोने चांदी के गहने पहन रखे हो के बारे मे जानकारी जुटाते

कुमावत को एड-हॉक कमेटी का कंवीनर बनाने को चुनौती

जयपुर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड-हॉक कमेटी के कन्वीनर के तौर पर दीनदयाल कुमावत को नियुक्त करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर इस याचिका पर 18 जुलाई को सुनवाई होगी।

याचिका में अधिवक्ता मधुसुदन सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता क्रिकेट संघ की वर्तमान कार्यकारिणी को साल 2022 से 2026 के लिए चुना गया था। वहीं सरकारिता विभाग ने गत 27 जून को दीनदयाल कुमावत को आरसीए की एड-हॉक कमेटी का कन्वीनर नियुक्त किया है।

यह नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। एड-हॉक कमेटी का कंवीनर वह व्यक्ति ही बन सकता है, जो आरसीए चुनाव लडने के लिए पात्र हो। दीन दयाल कुमावत का सवाई माधोपुर से कोई रिश्ता ही नहीं है। वे ना तो सवाई माधोपुर में जन्मे और ना ही वहां निवास करते हैं।

यहां तक की वे सवाई माधोपुर के किसी प्राइमरी क्रिकेट क्लब के पदाधिकारी भी नहीं है। ऐसे में वे जिला संघ के किसी पद के लिए भी पात्र नहीं हैं। इसके बावजूद भी उन्हें एड-हॉक कमेटी का कंवीनर बनाया गया है। इसलिए उनके नियुक्ति आदेश को रद्द किया जाए।

- याचिका में अधिवक्ता मधुसुदन सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता क्रिकेट संघ की वर्तमान कार्यकारिणी को साल 2022 से 2026 के लिए चुना था

राजधानी जयपुर में पेट्रोल चोर गैंग सक्रिय

जयपुर। वैशाली नगर थाना इलाके में पेट्रोल चोर गैंग सक्रिय हैं। जानकारी के अनुसार गैंग के लोग बाइक पर घूमकर रेकी करते है और फिर उसके बाद रात को कारों से पेट्रोल चोरी करते है। वहीं अगर लोगों के जागने पर उनसे बचने के लिए गुलेल से हमला कर भाग जाते है। पुलिस फुटेज के आधार पर पेट्रोल चोर गैंग के बदमाशों की तलाश कर रही है।

मोदी ने डॉक्यूमेंट्री "विकास भी-विरासत भी" के निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त की

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चित्तौडगढ़ सांसद सीपी जोशी को चित्तौडगढ़ संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री "विकास भी-विरासत भी" के निर्माण पर एक सराहनापूर्ण संदेश पत्र भेजा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पत्र में चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक सांस्कृतिक और वीरता की परंपरा का उल्लेख करते हुए सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे का विकास, कौशल विकास कार्यक्रमों के विस्तार, युवाओं के सशक्तिकरण, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण प्रयासों को भी उल्लेखनीय बताया है। उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद सीपी जोशी की सक्रिय भूमिका और जनता से जुड़ाव की विशेष रूप से सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने "वोकल फॉर लोकल" अभियान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ की पारंपरिक शिल्प, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक पहचान मिलने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास की इस ऐतिहासिक यात्रा में जन-जन तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। सांसद सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह हम सभी के लिए प्रेरणास्पद क्षण है।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पत्र भेजकर चित्तौडगढ़ सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में हो रहे प्रगति कार्य की सराहना की

हटाए अस्थाई अतिक्रमण

जयपुर। हेरिटेज निगम की सतर्कता शाखा ने बुधवार को अस्थाई अतिक्रमण को हटा दिया। इस दौरान सतर्कता शाखा की टीम ने पांच ट्रक सामान भी जब्त किया है। निगम हेरिटेज आयुक्त डॉ निधि पटेल के निर्देश पर दस्ते ने सूरजपोल, पाड़ा मंडी, ईदगाह, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, आमेर रोड, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, चांदपोल, किशनपोल बाजार में कार्रवाई सड़क और बरामदे से अस्थाई अतिक्रमण को हटा दिया। साथ ही भविष्य में सड़क पर सामान नहीं रखने की चेतावनी भी।

दो दिन तक थाने की सफाई करने की सजा के साथ कार्रवाई बंद

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जानलेवा हमला करने के मामले में पांच युवकों को शहर के अशोक नगर थाने की दो दिन तक सफाई करने की सजा देते हुए राजीनामे के आधार पर प्रकरण में कार्रवाई बंद कर दी है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश अनुराग व अन्य की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि नए आपराधिक कानून में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान है। ऐसे में याचिकाकर्ता स्वच्छता अभियान के तहत दो दिन तक अशोक नगर थाने की सफाई करेंगे। याचिका में अधिवक्ता राजेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 24 मई 2025 को सरदार पटेल मार्ग पर 23 से 25 वर्ष के निवाई के कुछ युवकों पर इसी आयुवर्ग के बांदीकुई के कुछ लडकों ने हमला कर दिया था।। इस दौरान एक युवक का सिर फूट गया। इसे लेकर पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया। याचिका में कहा गया कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। इसके अलावा याचिकाकर्ता युवकों के खिलाफ आज तक अन्य कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वहीं दोनों पक्षों के बीच राजीनामा भी हो चुका है। ऐसे में मामले में चल रही आपराधिक कार्रवाई को बंद किया जाए।

'केंद्र सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए कटिबद्ध है'

जयपुर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा किकांग्रेस और राहुल गांधी एससी ,एसटी वर्ग को लेकर झूठ फैला रहे हैं और समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान बदलने जैसी बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि संविधान को किसी के बाप का बाप भी नहीं बदल सकता है । उन्होंने महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर गरमाई राजनीति और माहौल को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में मराठी होने पर मुझे गर्व है लेकिन हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ मारपीट करना गलत है। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का जितना विकास में योगदान है उतना ही योगदान गैर मराठी लोगों का भी है। मुंबई में 60 आबादी गैर मराठी की है। बड़े-बड़े उद्योगपति गैर मराठी है। कहा कि बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना का गठन मराठियों के अधिकारों को लेकर किया था लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इसके विपरीत काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो लोग जन्म लेते हैं वे चाहे गैर मराठी ही क्यों ना हो उन्हें मराठी बोलना आता है लेकिन जो हिंदी बोलते हैं उनका अपमान नहीं होना चाहिए। वहां की सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने मोदी सरकार के काम ऑन और उपलब्धियां की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 25 करोड लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है।

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबको न्याय देने के लिए और समाज के हर वर्ग का विकास करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होने कहा की केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओ के माध्यम से 25 करोड़ लोगो को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया गया है।

- मराठी के नाम पर ठाकरे परिवार की दादागिरी गलत, संविधान किसी के बाप का बाप भी नहीं बदल सकता - अठावले

हनी-ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर ऐंठे नब्बे लाख

जयपुर। महेश नगर थाना इलाके में एक व्यवसायी को युवती ने प्रेम जाल (हनी-ट्रैप) में फंसाकर नब्बे लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। पुलिस जानकारी में सामने आया कि आरोपित महिला ने झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर पचास लाख रुपए की डिमांड की। इस संबंध में थाने में पीड़ित व्यवसायी ने आरोपित युवती के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि सांगानेर निवासी 42 वर्षीय व्यवसायी ने मामला दर्ज करवाया है कि एक कंपनी के निदेशक है और वर्ष 2017 में उसकी कंपनी से समर इंटर्न कर आरोपित युवती ने नौकरी शुरू की थी। जिसके बाद सोशल मीडिया के जरिए व्यवसायी से सम्पर्क करने की कोशिश की। ध्यान नहीं देने पर व्यवसायी की पत्नी से दोस्ती कर मिलना-जुलना शुरू कर दिया। इसके बाद व्यवसायी के नजदीक आ गई। इसके बाद झूठे प्रेमजाल में फंसाकर शादी करने का झांसा देकर जरूरत के नाम पर रुपए वसूलना शुरू कर दिया। इसके बाद से आरोपित युवती शादी का झांसा देकर झूठ बोलकर अलग-अलग तरीके से ब्लैकमेलर युवती ने नब्बे लाख रुपए ऐंठ लिए।

रिश्वत प्रकरण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जमानत याचिका खारिज, डीटीओ को राहत

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी चौकी, सवाई माधोपुर में तैनात होकर विभिन्न सरकारी अधिकारियों से रिश्वत लेने के मामले में आरोपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि अनुसंधान में सामने आया है कि याचिकाकर्ता आरोपी ने दूसरे लोक सेवकों को ट्रेप करने की धमकी देकर रिश्वत ली है। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर अदालत ने प्रकरण में सवाई माधोपुर के जिला परिवहन अधिकारी रहे पून्याराम मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

जमानत याचिका में सुरेन्द्र शर्मा की ओर से कहा गया कि उसे बिना किसी आधार के गत 20 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से कोई रिश्वत राशि भी बरामद नहीं हुई है। उसे सह आरोपी के साथ वार्तालाप के आधार पर आरोपी बनाया गया है। वहीं सह आरोपी विवेक सोनी को पूर्व में जमानत दी जा चुकी है। इसके अलावा उसके खिलाफ जांच करने से पूर्व अभियोजन स्वीकृति भी नहीं ली गई है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील जयप्रकाश तिवाडी ने कहा कि याचिकाकर्ता सरकारी अधिकारियों को मोबाइल रिकॉर्डिंग का भय दिखाकर संगठित गिरोह के माध्यम से मासिक रूप से भारी रिश्वत लेता था।

इस संबंध में जून, 2024 को आम जन की ओर से परिवाद दिया गया था। सह आरोपी दलाल रामराज मीणा के मोबाइल से हुई बातचीत के आधार पर याचिकाकर्ता को अपराध में लिप्त पाया गया और उसे अभिरक्षा में लिया गया। ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की जरूरत भी नहीं थी। इसलिए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

रणनीति से सिलिकॉन तक: सप्त शक्ति टेक सेमिनार का शुभारंभ

जयपुर। सप्त शक्ति कमान द्वारा बहुप्रतीक्षित तकनीकी सेमिनार"नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट - शेपिंग टूमारोज मिलिट्री टुडे" का शुभारंभ आज जयपुर मिलिट्री स्टेशन में सेंटर फॉर लैण्ड वॉरफेयर स्टडीज़ और सोसायटी ऑफ़ इंडियन डिफ़ेंस मैन्युफैक्चरस के सहयोग से हुआ। इस आयोजन की परिकल्पना लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदरसिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, साउथ वेस्टर्न कमांड द्वारा की गई थी। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की "विकसित भारत" के निर्माण में परिवर्तनकारी भूमिका पर एक प्रेरक उद्घाटन भाषण दिया।

यह सेमिनार अग्रणी विशेषज्ञों, सैन्य रणनीतिकारों और रक्षा क्षेत्र के नवोन्मेषकों को एक मंच पर लेकर आई, जहाँ बदलते युद्ध परिदृश्य और निर्णायक बढ़त बनाए रखने के लिए आवश्यक तकनीकी उन्नितयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

अपने उद्घाटन भाषण में, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदरसिंह ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय सेना को आधुनिक और भविष्य के युद्धों की बहुआयामी चुनौतियों का सामना करने के लिए तेजी से अनुकूलन और नवाचार अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने ग्रे ज़ोन युद्ध की जटिलताओं को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि हाइब्रिड खतरों का मुकाबला करने के लिए परिष्कृत क्षमताओं का विकास अत्यंत आवश्यक है,जो युद्ध और शांति की रेखाओं को धुंधला कर देते हैं। उन्होंने ऑपरेशन "सिंदूर" की सफलता में उन्नत प्रणालियों, सटीक आयुध, खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताओं, विशेष रूप से ड्रोन की प्रभावी तैनाती की भूमिका को रेखांकित किया।

उन्होंने निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाने, संसाधनों के अनुकूल उपयोग और संचालन की गति एवं सटीकता बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अपार संभावनाओं की सराहना की। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों के विकास और तैनाती में मजबूत नैतिक ढांचे, मानवीय निगरानी और अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानूनों का पालन अत्यावश्यक है। उन्होंने साउथ वेस्टर्न कमांड और मालवीया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी के संयुक्त स्वदेशीकरण, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन की सराहना की।

लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदरसिंह(बीच में) ने सेमिनार"नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट - शेपिंग टूमारोज मिलिट्री टुडे" का शुभारंभ किया।

श्रद्धालु कर सकेंगे ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक-हवन

जयपुर। सावन माह में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन छोटीकाशी के श्रद्धालु दूसरे सोमवार की पूर्व संध्या पर आराध्य देव गोविंद देवजी मंदिर में महाकाल का महाभिषेक करेंगे। आगामी रविवार, 20 जुलाई को यहां द्वादश ज्योतिर्लिंग का पूजन और रूद्राभिषेक का भव्य आयोजन होगा। श्रद्धालु आराध्य देव के दर्शन के साथ-साथ आशुतोष भगवान का पूजन और अभिषेक का पुण्य लाभ भी उठा सकेंगे। मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सान्निध्य में बुधवार को ठाकुर राधा गोविंद देवजी के श्रीचरणों में आयोजन का पोस्टर अर्पित किया। इससे पूर्व प्रथम पूज्य मोतीडूंगरी गणेशजी मंदिर में आयोजन के निर्विघ्न रूप से संपन्न होने की प्रार्थना की।

इस मौके पर मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा, गायत्री परिवार राजस्थान के समन्वयक ओमप्रकाश अग्रवाल, सनातन बोर्ड संघर्ष समिति राजस्थान के संयोजक राहुल द्विवेदी, गुर्जर समाज युवा अध्यक्ष गौरव गुर्जर, कुलदीप सुलोनिया और रवि मीणा ने आयोजन के पोस्टर का विमोचन किया।

खोया पाया

मेरे हाउसिंग कार्ड मकान नं. 10/595 कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर का मूल कब्जा पत्र, कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें। दीपक-6378403750

ESTATE OFFICER
RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION LIMITED
EPIP SITAPURA, JAIPUR
RIICO V/s M/s H.R. Gems
Proprietor Smt. Janki Agarwal,
Plot No. 384, Street No.-2, Rajapark, Jaipur
Case No.:- EO/RIICO/04/2024/773 Dated:-14.07.2025
NOTICE UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 6 OF THE RAJASTHAN PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORIZED OCCUPANTS) ACT, 1964
Smt. Janki Agarwal Prop. of M/s H.R. Gems, Plot No. H-171, Industrial Area SEZ-I, Sitapura, Jaipur where on the 14.02.2025, you were evicted from the public premises described in the schedule below with was unauthorizedly occupied by you.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by Sub-Section (1) of Section (6) of the Act, I hereby give you notice that after fourteen days of the service of this notice on you, any property remaining on the said premises will be liable to be removed or disposed-off by public auction. In case, you desire to take possession of your property and to remove the same from the said premises, you will be permitted to do so on written authority from the undersigned provided any due or arrears of rent/damages due from you paid within the said period fourteen days.
SCHEDULE
M/s H.R. Gems
H-171, Industrial Area SEZ-I, Sitapura, Jaipur
Court Seal
ESTATE OFFICER
Raj.samwad/C/25/6334

न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक जिला जयपुर
वाद सं....
ग्यारसीदेवी बनाम राकेश कुमार वगैरह
वाद बाबत घोषणा अंतर्गत धारा 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023
बनाम-आम जनता व आम
उपरोक्त वाद राकेश कुमार पुत्र सन्ताराम उम्र 21 साल जाति रैगर निवासी रैगरों का मोहल्ला, गांधी बस्ती सांरभरलेक जिला जयपुर राज. के लापता हो जाने से उसकी मृत्यु की उपधारणा कर सिविल मृत्यु घोषित किये जाने के सम्बन्ध में पेश किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति उक्त मृत्यु के सम्बन्ध में एतराज/आपत्ति रखता है तो इस न्यायालय में दिनांक 28.07.2025 से पूर्व प्रस्तुत करें।
अत आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
हस्ताक्षर
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहर अदालत
सांभर लेक, जयपुर जिला

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम योगेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री गणपत लाल अग्रवाल से बदलकर योगेश अग्रवाल रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावें निवासी 32 शंकर कॉलोनी, नया खेडा, अम्बाबाडी, जयपुर

मैं आर्मी नं. 16034110K राइफलमैन चन्द्रवीर सिंह राठौड यूनिट 17 राजरिफ (सवाईमान) है मेरे सेना के दस्तावेजों में मेरे माताजी का नाम दरयाव कँवर (Daryav Kunwar) है जो कि गलत है मेरे माताजी का नाम दरयाव कँवर (Dariyav Kanwar) है। जो कि सही एवं सत्य है।

I, RAM SINGH GIRI Father of JC-829810M Sub (GD) Birendar Singh Goswamy R/o Vill: Kajarwara, Po: Temer Bhita, Teh: Jablpur, PS: Gorabazar, Dist: Jabalpur, State: Madhya Pradesh, PIN: 482001 have changed my name from RAM SINGH GIRI to RAM SINGH Vide affidavit No. CD-900515 Date: 15.07.2025

I Shantanu Kumar Sharma R/o D-10, Devi Chiranjeev Colony, Sudama Kuti Marg, Gopalpura Byepass, Gandhi Nagar, Jaipur Declare that in my son Pratyush Sharma education records my name wrongly entered as Shantanu Sharma. The correct name is Shantanu Kumar Sharma vide affidavit 15.07.2025. Jaipur.

I Am Army No. 16029886N RFN Amar Kumar Of Unit 17 RAJRIF (Sawaiman) My Father Name In Military Document is Tejbir Singh Which is Wrong. My Father Correct Name is Tejveer.

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 254/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री कौशल कुमार योगी पुत्र श्री बनवारी लाल योगी निवासी कृष्णा कॉलोनी, महिलुर महाविद्यालय के पास, मोरीजा रोड, चौमूं जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री विरदीचंद फाउंडेशन कार्यालय पता-वार्ड नं. 32 कृष्णा कॉलोनी, मोरीजा रोड, राजकीय महिला महाविद्यालय के पास, चौमूं जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोसि प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोसि के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 31.08.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 75/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्रीमती कंचन चौधरी पत्नी श्री अमित चौधरी निवासी सी-194, हसन खॉ मेवाती नगर, अलवर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत स्कॉलर एजुकेशनल सोसायटी, अलवर ए-231, हसन खॉ मेवाती नगर, अलवर के सम्बन्ध मे जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोसि प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोसि के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 14.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 23.09.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत पचीपुरा, पंचायत समिति- सवाई माधोपुर जिला- सवाई माधोपुर
क्रमांक:-18/2025-26 दिनांक 11/07/2025
ई-निविदा सूचना संख्या /2025-26
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा व ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग की समस्त विकास योजनाओं में कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति करने हेतु उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 एवं जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के अन्तर्गत पंजीकृत विक्रेताओं/ निविदादाताओं से वार्षिक दर दिनांक 31.03.2026 तक के लिए निविदा दरें ई-प्रीक्योरमेन्ट पद्धति से द्वितरीय आमंत्रित की जाती है निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज इन साईट पर http://eproc.rajasthan. gov. in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकती है ।
NIB No.ZSM2526A0466
UBN No. ZSM2526GSRC00530
प्रशासक ग्राम पंचायत पचीपुरा — ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पचीपुरा

कार्यालय ग्राम पंचायत बाडोलास, पंचायत समिति- सवाई माधोपुर जिला- सवाई माधोपुर
क्रमांक:-43/2025-26 दिनांक 07/07/2025
ई-निविदा सूचना संख्या /2025-26
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा व ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग की समस्त विकास योजनाओं में कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति करने हेतु उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 एवं जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के अन्तर्गत पंजीकृत विक्रेताओं/ निविदादाताओं से वार्षिक दर दिनांक 31.03.2026 तक के लिए निविदा दरें ई-प्रीक्योरमेन्ट पद्धति से द्वितरीय आमंत्रित की जाती है निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज इन साईट पर http://eproc.rajasthan. gov. in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकती है ।
प्रशासक ग्राम पंचायत बाडोलास — ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बाडोलास

कार्यालय ग्राम पंचायत भूरीपहाड़ी, पंचायत समिति- सवाई माधोपुर जिला- सवाई माधोपुर
क्रमांक:-46/2025-26 दिनांक 14/07/2025
ई-निविदा सूचना संख्या 04/2025-26
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा व ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग की समस्त विकास योजनाओं में कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति करने हेतु उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 एवं जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के अन्तर्गत पंजीकृत विक्रेताओं/ निविदादाताओं से वार्षिक दर दिनांक 31.03.2026 तक के लिए निविदा दरें ई-प्रीक्योरमेन्ट पद्धति से द्वितरीय आमंत्रित की जाती है निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज इन साईट पर http://eproc.rajasthan. gov. in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकती है ।
NIB No.ZSM2526A0465
UBN No. ZSM2526GSRC00528
प्रशासक ग्राम पंचायत भूरीपहाड़ी — ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भूरीपहाड़ी

कार्यालय ग्राम पंचायत गोगोर, पंचायत समिति- सवाई माधोपुर जिला- सवाई माधोपुर
क्रमांक:-07/2025-26 दिनांक 15/07/2025
ई-निविदा सूचना संख्या 05/2025-26
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा व ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग की समस्त विकास योजनाओं में कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति करने हेतु उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 एवं जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के अन्तर्गत पंजीकृत विक्रेताओं/ निविदादाताओं से वार्षिक दर दिनांक 31.03.2026 तक के लिए निविदा दरें ई-प्रीक्योरमेन्ट पद्धति से द्वितरीय आमंत्रित की जाती है निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज इन साईट पर http://eproc.rajasthan. gov. in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकती है ।
NIB No.ZSM2526A0468
UBN No. ZSM2526GSRC00532
प्रशासक ग्राम पंचायत गोगोर — ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गोगोर

कार्यालय ग्राम पंचायत नीदड़दा, पंचायत समिति- सवाई माधोपुर जिला- सवाई माधोपुर
क्रमांक:-47/2025-26 दिनांक 09/07/2025
ई-निविदा सूचना संख्या 06/2025-26
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा व ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग की समस्त विकास योजनाओं में कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति करने हेतु उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 एवं जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के अन्तर्गत पंजीकृत विक्रेताओं/ निविदादाताओं से वार्षिक दर दिनां